

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आई0टी0 प्रकोष्ठ),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
देहरादून।

पत्रांक-34/40क0/स्थानान्तरण /96/2023/

देहरादून, दिनांक: 07 जून 2023

विषय-


परिवार कल्याण अधिष्ठान के अन्तर्गत सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी संवर्ग के पद धारकों के स्थानान्तरण की सूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि परिवार कल्याण अधिष्ठान के अन्तर्गत सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी संवर्ग के पद धारकों के स्थानान्तरण की सूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाना है।

अतः परिवार कल्याण अधिष्ठान के अन्तर्गत जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी संवर्ग के स्थानान्तरण सूचना संलग्न करते हुये आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त को वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा0का0)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-35/40क0/96/2023/20503

देहरादून, दिनांक: 09 जून 2023

-: आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक 10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सन् 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुसूचन के क्रम में निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पद नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रीति रतूड़ी	सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी गढ़वाल	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी को कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती से आहरित किया जाये।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. इस हेतु कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्रांक-35/40क0/96/2023/

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी/पौड़ी।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
6. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा0का0)